न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सराड़ा, जिला–सलूम्बर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	**विनय डाबी, R.J.S, (RJ01239)**
प्रकरण संख्या	:	286/2015 रे0फौ0
सीआईएस नम्बर	:	1466/2015
सीएनआर नम्बर	:	RJSA0

सरकार

बनाम

भंवरसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत, उम्र 36 वर्ष, निवासी शक्तावतों का गुडा, पुलिस थाना सेमारी, जिला सलूम्बर

–– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304–ए भारतीय दंड संहिता

उपस्थित :–

1– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते सरकार।

2– श्री हितेन्द्र प्रकाश माथुर विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30.03.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी हिम्मतसिंह ने दिनांक 16.08.2015 ने एक लिखित रिपोर्ट उपस्थित थाना हो इस आशय की पेश की कि दिनांक 14.08.2015 को शाम 5.30–6.00 बजे गभग वह तथा उसके काकोसा उमानसिंह पिता गुमानसिंह काईला वालों खेत से मक्की की फसल हकाई गुडाई कर बेलों को लेकर घर आ रहे थे कि घोडासर बस स्टैण्ड से घोडासर की तरफ एक टवेरा गाडी नम्बर आरजे 27 टीए 1316 का चालक टवेरा गाडी को तेज गति व लापरवहीपूर्वक सेमारी की तरफ से आया व उनकी साईड में चल रहे उमानसिंह को टक्कर मार दी जिससे उसके हाथ पांव व छाती में गंभीर चोटें आई, इतन में 108 एम्बुलेंस जो कि किसी अन्य को लेकर सेमारी जा रही थी उसमें उमानसिंह को रख सेमारी हॉस्पीटल ले गये वहां से स्थिति गंभीर होने की वजह से उदयपुर रेफर कर दिया। .....इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सेमारी पर एफआईआर संख्या 123/2015 अपराध धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता का आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध की धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त को धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य निम्नलिखित को साक्ष्य अभियोजन में परीक्षित करवाया गया।

क्र.स.	अभियोजन पक्ष गवाह	गवाह का नाम	विवरण
1.	P.W.1	हिम्मसिंह	परिवादी
2.	P.W.2	भैरूसिंह	चश्मदीद गवाह
3.	P.W.3	विजयसिंह	चश्मदीद व फर्द निरीक्षण घ ाटनास्थल
4.	P.W.4	प्रतापसिंह	चश्मदीद गवाह
5.	P.W.5	गोपालसिंह	चश्मदीद फर्द पंचायतनामा गवाह
6.	P.W.6	कांतिलाल	अनुसंधान अधिकारी
7.	P.W.7	विनोद	नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट का गवाह

5. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शितत करवाया गया।

क्र.स.	दस्तावेज क्रमांक	दस्तावेज विवरण
1	प्रदर्शपी–1	लिखित रिपोर्ट
2	प्रदर्शपी–02	चाक् एफआईआर
3	प्रदर्शपी–03	फर्द घटनास्थल
4	प्रदर्शपी–04	पंचायतनामा लाश
5	प्रदर्शपी–05	फर्द सूपुर्दगी लाश
6	प्रदर्शपी–06	पुलिस बयान हिम्मतसिंह
7	प्रदर्शपी–07	पुलिस बयान भैरूसिंह
8	प्रदर्शपी–08	पुलिस बयान विजयसिंह
9	प्रदर्शपी–09	पुलिस बयान प्रतापसिंह
10	प्रदर्शपी–10	पुलिस बयान गोपालसिंह
11	प्रदर्शपी–11	फर्द जब्ती टवेरा गाडी
12	प्रदर्शपी–12	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
13	प्रदर्शपी–13	धारा 133 एवमी एक्ट नोटिस
14	प्रदर्शपी–14	धारा 133 एवमी एक्ट का जवाब
15	प्रदर्शपी–15	मैकेनिकल मुआयना

16	प्रदर्शपी–16	वाहन का स्वामित्व संबंधी रिकोर्ड

6. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बतलाया एवं प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

7. बहस अंतिम सुनी।

8. दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

9. इसके विपरित विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त को झूठा फसाया गया है, किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। चालक कौन था साबित नहीं हुआ है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9. तर्कों पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि –

'' आया अभियुक्त ने दिनांक 14.08.2015 को समय 5 से 6 पीएम के बीच वाके मौजा घोडासर बस स्टैण्ड में आम रास्ते (लोक मार्ग) पर वाहन कार टवेरा जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 27 टीए 1316 को तेज गति, उपेक्षा व लापरवाही से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कर परिवादी के काकाजी उमानसिंह को टक्कर मारकर आकस्मात कारित किया। उक्त आकस्मात के कारण उमानसिंह की मृत्यु कारित हुई? ''

यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी होगा?

10. उक्त विचारणीय बिन्दू को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 07 गवाहों को परीक्षित करवाया। गवाह पी.ड. 1 हिम्मतसिंह ने अपने न्यायालय समक्ष बयानों में मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया कि आज से करीब 06–7 साल पहले की बात है। उस समय वह अहमदाबाद था। दुर्घटना का मैसेज उसे मिला था। जिस पर वह उदयपुर आया था। दुघ र्टना कैसे तथा सिक साधन से वह कहां घटित हुई उसे नहीं पता। उसने घटना की सूचना थाने पर दी थी। जो प्रदर्शपी–01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्शपी–02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द घटनास्थल प्रदर्शपी–03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृतक उमानसिंह की लाश का पंचनामा बनाया था। तथा लाश का पोस्टमार्टम करवाकर लाश को अंतिम संस्कार हेतु उसे सूपुर्द की थी। फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्शपी–04 व फर्द सूपुर्दगी प्रदर्शपी–05 है दोनों ही फर्दों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11. गवाह पी.ड. 2 भैरूसिंह ने अपने न्यायालय समक्ष बयानों में मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया कि सन 2015 की बात है। उसके पिता उमान सिंह जी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके पिताजी उमान सिंह जी शाम करीब 5–6 बजे हमारे खेतों पर घोड़ासर बेल लेने गये थे। बेल लेकर वापस घर पर आ रहे थे तो घोड़ासर मोड़ पर मेरे पिताजी को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसके पिताजी को गंभीर चोटे आई जिस पर उन्हें सेमारी अस्पताल ले गये वहां से उन्हें उदयपुर अस्पताल ले गये। दौराने इलाज उनक उदयपुर में मृत्यु हो गयी। घटना के समय वह इंदौर में था। इसलिये उसे घटना की पुरी जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके पिताजी की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार हेतु हमें दी थी। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

12. गवाह पी.ड. 3 विजयसिंह ने अपने न्यायालय समक्ष बयानों में मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया कि सन 2015 की बात है। शाम करीब 6 बजे की बात होगी। उस समय वह उसके घर पर था। उसे घर पर सुचना मिली की उमान सिंह का एक्सीडेट हो गया है। सुचना मिलने पर वो घोड़ासर मोड मौके पर गये। वो जब पहुचे तब वहां कोई नही था। उमान सिंह जी को हॉस्पीटल लेकर चले गये थें। एक्सीडेंट कैसे हुआ उसे नहीं पता गाडी कौन चला रहा थ उसे नहीं पता। घटना के वक्त वह वहां पर नहीं था। पुलिस ने उसके हस्ताक्षर घटना के दिन ही करवाये थे। घटनास्थल प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घ ोषित किया गया।

13. गवाह पी.ड. 4 प्रतापसिंह ने अपने न्यायालय समक्ष बयानों में मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया कि उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वह मौके पर बाद में गया था। उस समय मौके पर कोई नहीं था। उमानसिंह जी को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पीटल ले गये थे। मौके पर उसने कोई वाहन नहीं देखा। इसके आलवा वह कुछ नहीं जानता। इस गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14. गवाह पी.ड. 5 गोपालसिंह ने अपने न्यायालय समक्ष बयानों में मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया कि आज से करीबन 8–9 साल पहले की बात है। कितने बजे की बात है उसे नहीं पता। क्योंकि घटना के वक्त वह अहमदाबाद में था। दुर्घटना कैसे हुर्ठ किसकी गलती से हुर्ठ उसे नहीं पता। मृतक उमानसिंह उसके अंकल लगते है। पुलिस ने उनकी लाश का पंचनामा बनाकर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्शपी–04 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह को सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

15. गवाह पी.ड. 6 कांतिलाल ने अपने न्यायालय समक्ष बयानों में मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 16.08.2015 को पुलिस थाना सेमारी ओपी रठौड़ा पर हैडकानि पद पर तैनात था। उस दिन प्रार्थी हिम्मत सिंह द्वारा एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट थानाधिकारी

हजारीलाल जी के समक्ष पेश की जिन्होंने उक्त रिपोर्ट पर थाने का प्रकरण संख्या 123/15 अपराध धारा 279,337 भा0द0स0 में दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया। तहरीरी रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिस पर ए से बी प्रार्थी हिम्मतसिंह के हस्ताक्षर है, सी से डी कार्यवाही पुलिस थाना सेमारी का पृष्ठांकन होकर ई से एफ थानाधिकारी हजारीलाल जी के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्र0पी0 2 है जिस पर ए से बी प्रार्थी के तथा सी से डी थानाधिकारी हजारीलाल जी के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने प्रार्थी हिम्मतसिंह , गवाह प्रतापसिंह , विजयसिंह, गोपालसिंह, भैरूसिंह, के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। दौराने अनुसंधान उसने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रार्थी की निशादेही से गवाहों के समक्ष घ ाटनास्थल प्र0पी0 3 मुर्तिब किया जिस पर ए से बी प्रार्थी के , सी से डी व ई से एफ गवाह के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने दुर्घटना में लिप्त एक टवेरा गाड़ी बरंग सफेद, रजि0 न0ं आरजे 12 टीए 1316 को वजह सबूत जब्त किया। फर्द जब्ती प्र0पी0 11 है जिस पर ए से बी तथा सी से डी गवाह के , ई से एफ अभियुक्त भंवरसिंह के , तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने मृतक उमान सिंह की लाश का पंचनामा मुर्तिब कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर लाश को अंतिम संस्कार हेतु उसके परिजनों को सुपुर्द की। फर्द पंचायतनामा लाश प्र0पी0 4 है जिस पर ए से बी प्रार्थी के तथा सी से डी , ई से एफ , जी से एच , आई से जे गवाहन के तथा के से एल उसके हस्ताक्षर है। फर्द सुपुदर्गी लाश प्र0पी0 5 है जिस पर ए से बी , सी से डी , ई से एफ गवाहन के , तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मैंने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र0पी0 12 है। उसने दौराने अनुसंधान प्रकरण में वजह सबूत जब्त टवेरा गाड़ी रजि. न0 आरजे 12 टीए 1316 के रजिस्टर्ड वाहन स्वामी विनोद को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। नोटिस प्र0पी0 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सी से डी वाहन स्वामी विनोद का जवाब होकर ई से एफ वाहन स्वामी विनोद के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने अभियुक्त वाहन चालक भंवरसिंह को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। नोटिस प्र0पी0 14 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है, सी से डी अभियुक्त वाहन चालक भंवरसिंह का जवाब होकर ई से एफ भंवरसिंह के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मैंने प्रकरण में वजह सबूत जब्त टवेरा गाड़ी रजि0 न0 आरजे 12 टीए 1316 का मैकेनिकल मुआयना करवाकर एमटीओ रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्र0पी0 15 है। तथा उक्त टवेरा गाड़ी के स्वामित्व बाबत जिला परिवहन अधिकारी डूंगरपुर से रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जो प्र0पी0 16 है। दौराने अनुसंधान उसने प्रकरण में जब्त टवेरा गाड़ी रजि0 न0 आरजे 12 टीए 1316 के कागजातों की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जिनपर ए से बी मेरा पृष्ठांकन होकर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। तथा वाहन चालक अभियुक्त भंवरसिंह के डी0एल की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। जिनपर सी से डी वाहन स्वामी विनोद के , तथा अभियुक्त भंवर सिंह के हस्ताक्षर है। उसके संपूर्ण

अनुसंधान से अभियुक्त भंवरसिंह के विरूद्ध अपराध धारा 279, 304ए भा0द0स0 का अपराध0 प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली थानाधिकारी हजारीलाल जी के समक्ष पेश की जिन्होंने पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त भंवरसिंह के विरूद्ध अपराध धारा 279, 304ए भा0द0स0 में आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया। आरोप पत्र पर ए से बी थानाधिकारी हजारीलाल जी के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर उनके अधीन कार्य करने से वह पहचानता है।

16. गवाह पी.ड. 7 विनोद ने अपने न्यायालय समक्ष बयानों में मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया कि सन् 2015 की बात है। उसके पास एक टवेरा गाडी थी। जिसके नम्बर आरजे 12 टीए 1316 थे जो जयसमंद से घोडासर होकर डुंगरपुर आ रही थी। घोडासर के पास में टवेरा से एक्सीडेंट हो गया था। उसी मामले में पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे। फिर उसने उसके गाडी के चालक भंवरसिंह को पुलिस के पास पेश किया था। क्योंकि घ ाटना के समय गाडी भंवरसिंह चला रहा था। धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी–13 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। तथा उसका जवाब सी से डी भाग पर अंकित है। तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर जवाब के साथ है।

17. पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार है–

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन करे तो हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी हिम्मतसिंह द्वारा दिनांक 16.08.2015 को पुलिस थाना सेमारी में प्रस्तुत तहरीर रिपोर्ट से हुआ है। उक्त तहरीर रिपोर्ट में परिवादी यह कहते हुए आया है कि ''दिनांक 14.08.2015 को शाम 5.30–6.00 बजे गभग वह तथा उसके काकोसा उमानसिंह पिता गुमानसिंह काईला वालों खेत से मक्की की फसल हकाई गुडाई कर बेलों को लेकर घ ार आ रहे थे कि घोडासर बस स्टैण्ड से घोडासर की तरफ एक टवेरा गाडी नम्बर आरजे 27 टीए 1316 का चालक टवेरा गाडी को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक सेमारी की तरफ से आया व उनकी साईड में चल रहे उमानसिंह को टक्कर मार दी जिससे उसके हाथ पांव व छाती में गंभीर चोटें आई, इतन में 108 एम्बुलेंस जो कि किसी अन्य को लेकर सेमारी जा रही थी उसमें उमानसिंह को रख सेमारी हॉस्पीटल ले गये वहां से स्थिति गंभीर होने की वजह से उदयपुर रेफर कर दिया।'' उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पीड.1 के रूप में परीक्षित हुआ। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किये कि लगभग 6–7 साल पूर्व की बात है। उस समय वह अहमदाबाद में था। उसे दुर्घटना का मैसेज मिला। जिस पर वह उदयपुर आया। दुघ र्टना कैसे तथा किस साधन से वह कहां घटित हुई, उसे नहीं पता। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा अभियोजन कहानी से विरोधाभासी कथन करने पर सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा दौराने प्रतिपरीक्षण द्वारा सहायक

अभियोजन अधिकारी उक्त गवाह ने इस सुझाव से स्पष्ट इनकार किया है कि तहरीर रिपोर्ट प्रदर्शपी–01 उसकी कलमी हो। गवाह ने कथन किये कि रिपोर्ट किसने लिखी उसे नहीं पता। पुलिस वालों ने थाने पर बुलाकर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्शपी–06 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखवाने से स्पष्ट इंकार किया। इस प्रकार गवाह के उपरोक्त कथनों से स्वयं की तहरीर रिपोर्ट प्रदर्शपी–01 एवं अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं हो पायी है।

18. इसी क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीड.2 भैरूसिंह है। उक्त गवाह भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहा है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि घोडासर बस स्टेशन के पास टवेरा गाडी नम्बर आरजे 12 पीए 1316 का चालक तेजगति से व लापरवाही से गाडी चलाता हुआ और उसके पिताजी को टक्कर मार दी। गवाह ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि भंवरसिंह वक्त घटना टवेरा चला रहा हो। गवाह ने स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्शपी–07 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से स्पष्ट इंकार किया तथा दौराने प्रतिपरीक्षण यह स्वीकारा है कि वक्त दुर्घटना कैसे कारित हुई वह नहीं बता सकता। वह घटना के समय बाहर था। अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीड.3 विजयसिंह है जो कि महत्वपूर्ण फर्द घटनास्थल प्रदर्शपी–03 का साक्षी है उक्त गवाह भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहा है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण स्वीकारा है कि वक्त घटना वह घर पर थ। उसने घटना नहीं देखी तथा स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्शपी–08 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से स्पष्ट इंकार किया। अन्य गवाह पीड.3 प्रतापसिंह एवं पीड. 5 गोपालसिंह भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहते हुए अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं कर पाये है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्शपी–09 व प्रदर्शपी–10 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पीड.7 विनोद है जो कि महत्वपूर्ण फर्द नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट का साक्षी है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किये कि सन् 2015 की बात है। उसके पास एक टवेरा गाडी थी। जिसके नम्बर आरजे 12 टीए 1316 थे जो जयसमंद से घोडासर होकर डुंगरपुर आ रही थी। घोडासर के पास में टवेरा से एक्सीडेंट हो गया था। उसी मामले में पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे। फिर उसने उसके गाडी के चालक भंवरसिंह को पुलिस के पास पेश किया था। क्योंकि घटना के समय गाडी भंवरसिंह चला रहा था। दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने यह भी कथन किये कि नोटिस प्रदर्शपी–13 का सी से डी भाग उसकी कमली नहीं है सी से डी भाग

पुलिस वालों ने लिखा है। यह कहना सही है कि वह भंवरसिंह को नहीं जानता है। हालांकि उक्त गवाह ने वक्त घटना वाहन अभियुक्त भंवरसिंह द्वारा चलाये जाने के अभिकथन न्यायालय के समक्ष किये है, परंतु दौराने प्रतिपरीक्षण स्वीकारा है कि वक्त घटना वाहन अभियुक्त भंवरसिंह द्वारा चलाया जा रहा था, परंतु गवाह द्वारा इस संबंध में कोई कथन नहीं किये गये कि अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाहीपूर्वक चलाया जा रहा हो। प्रकरण में दौराने साक्ष्य किसी भी गवाह ने अभियुक्त द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया जा रहा हो इस बात की पुष्ट नहीं की है। इस प्रकार गवाह के उपरोक्त कथनों से महत्वपूर्ण फर्द नोटिस 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी–13 की भी ताईद नहीं होती है। हालांकि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 कांतिलाल ने कुलिया अनुसंधान से अभियुक्त भंवरसिंह के विरुद्ध आरोपति अपराध प्रमाणित पाए जाने के कथन किए हैं, परंतु प्रकरण में परीक्षित उपरोक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण में से किसी भी साक्षी के बयानों से में न तो वक्त घटना अकस्मात कारित करने वाले वाहन व वाहन चालक की पहचान साबित हो पाई है और न ही वाहन चालक द्वारा उपेक्षा या लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित हो पाए है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के बयान, जो कि प्रकरण का पश्चातवर्ती क्रम का गवाह है, औपचारिक मात्र रह जाता है।

20. अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि आया अभियुक्त ने दिनांक 14.08.2015 को समय 5 से 6 पीएम के बीच वाके मौजा घोडासर बस स्टैण्ड में आम रास्ते (लोक मार्ग) पर वाहन कार टवेरा जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 27 टीए 1316 को तेज गति, उपेक्षा व लापरवाही से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कर परिवादी के काकाजी उमानसिंह को टक्कर मारकर आकस्मात कारित किया। उक्त आकस्मात के कारण उमानसिंह की मृत्यु कारित हुई. अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

21. अतः अभियुक्त **भंवरसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत, उम्र 36 वर्ष, निवासी शक्तावतों का गुडा, पुलिस थाना सेमारी, जिला सलूम्बर** राज. को आरोपित अपराध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर है, जो सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा नियमानुसार बाद गुजरने अपील अवधि निरस्त समझे जावे।

23. अभियुक्त द्वारा न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10–10 हजार रूपये के जमानत मुचलके पेश करें।

(विनय डाबी)

24. निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनय डाबी)